(77)

पत्र संख्या–कारा/भवन–02/12– 844

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,

गृह विभाग।

प्रेषक,

राजीव वर्मा,
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र०)।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 8-2-2016

विषयः– राज्य योजना 2015–16 के अन्तर्गत मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–052–मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष–0101– काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड–P 4070000520101 राज्य योजना स्कीम कोड–HOM- 5424, विषय शीर्ष–52 01- मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत ₹9,11,28,040 (नौ करोड़ ग्यारह लाख अठाईस हजार चालीस रूपये) की लागत पर राज्य की 08 केन्द्रीय काराओं हेतु 24, 32 मंडल काराओं हेतु 64 एवं 17 उपकाराओं हेतु 17 कुल 57 काराओं में 105 टेलीफोन बूथ के अधिष्ठापन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना 2015–16 के अन्तर्गत मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–052–मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष–0101–काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड– P4070000520101 राज्य योजना स्कीम कोड–HOM-5424, विषय शीर्ष–52 01- मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत ₹9,11,28,040 (नौ करोड़ ग्यारह लाख अठाईस हजार चालीस रूपये) की लागत पर राज्य की 08 केन्द्रीय काराओं हेतु 24, 32 मंडल काराओं हेतु 64 एवं 17 उपकाराओं हेतु 17 कुल 57 काराओं में 105 टेलीफोन बूथ के अधिष्ठापन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं0 96वि0(2) दिनांक–03.01.2008 की कंडिका 4(क) के आलोक में निम्नांकित शर्त्त के साथ दी जाती हैः–

(i) बंदी को प्रति माह निर्धारित राशि का टेलीफोन कार्ड अनुमान्य होगा। उन्हें निर्धारित समय अंतराल पर निर्धारित अवधि के लिये टेलीफोन पर बातचीत की सुविधा दी जायेगी। यह सुविधा भुगतान आधारित होगी। प्रति माह निर्धारित राशि, समयावधि एवं अंतराल का निर्धारण कारा महानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

(ii) सभी टेलीफोन कॉल की रिकार्डिंग की जाएगी एवं इसे तीन माह तक सुरक्षित रखा जायेगा। टेलीफोन की मॉनिटरिंग पुलिस द्वारा की जायेगी।

(iii) प्रत्येक वैसे संवाद की रिकार्डिंग सुनकर कारा उपाधीक्षक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी यह प्रमाण–पत्र देंगे कि टेलीफोन संवाद में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

(iv) बूथ पर पंजी संधारित की जायेगी, जिसमें टेलीफोन करने वाले बंदी का नाम, टेलीफोन नं0, फोन करने का समय आदि की जानकारियां अंकित की जायेगी।

(v) बूथ पर Incoming Call की सुविधा नहीं होगी।

2. उपर्युक्त स्वीकृत कुल राशि ₹9,11,28,040 (नौ करोड़ ग्यारह लाख अठाईस हजार चालीस रूपये) का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मांग सं0 22 के अधीन मुख्य शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं

पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–052–मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष–0101–काराओं के संयंत्रों हेतु, विपत्र कोड–P 407000520101 स्कीम कोड– HOM- 5424, विषय शीर्ष–52 01-मशीनें एवं उपस्कर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं अगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा ।

3. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय होगें तथा वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश ज्ञापांक–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राशि की अग्रिम निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7312 दिनांक–21.08.2015 के आलोक में बैंक ड्राफ्ट् के माध्यम से भारत संचार निगम लि0, पटना के खाता संख्या–0380002100061733 पंजाब नेशनल बैंक, एक्जीविसन रोड, पटना में उपलब्ध कराया जाएगा।

4. स्वीकृत योजना के लिये आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

5. योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा संचिका सं0–कारा/भवन–02/12 के टिप्पणी पृ0–32/टि0 पर दिनांक–01.01.16 को अनुमोदन दिया गया है।

6. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0 कारा/भवन–02/12 के टिप्पणी पृ0–35/टि0 पर दिनांक–29.01.2016 को दी गई है।

7. योजना के गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय कार्यान्वयन का दायित्व भारत संचार निगम लि0, पटना का होगा, जो निर्धारित अवधि में कार्य की पूर्णता सुनिश्चित कराकर आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोगिता प्रतिवेदन महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, पटना को उपलब्ध करायेगें।

8. उक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर निकासी से पूर्व महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

8.2.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक(प्र0)।

ज्ञापांकः– कारा/भवन–02/12– 844 पटना, दिनांक 8-2- 2016

प्रतिलिपिः–सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कारा अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8.2.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक(प्र0)।

ज्ञापांकः– कारा/भवन–02/12– 844 पटना, दिनांक 8-2- 2016

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8-2.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक(प्र0)।

ज्ञापांकः– कारा/भवन–02/12– 844 पटना, दिनांक 8-2- 2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. स्वीकृत्यादेश की प्रति संबंधित विभागों को अनिवार्य रूप से Online/E-mail पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8.2.16

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक(प्र0)।